



दूरभाष : 07774-261609, 7747032999
Telephone : 07774-261609, 7747032999
फैक्स : 07774-261630, 261609
Fax : 07774-261630, 261609
E-mail : sainikschoollambikapur@rediffmail.com
Website : www.sainikschoollambikapur.org.in

BY E-MAIL

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर

(रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित)

Sainik School Ambikapur

(Under the aegis of Ministry of Defence)

मेंड्राकलां, Mendra Kalan

जिला – सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Dist – Surguja (Chhattisgarh)

पिन कोड – 497 001

Pin Code – 497 001

SSAP/Est/EE20-21/1004/ 0522

30

जुलाई 2020

रोल नंबर 502652, 503352, 502832, 503492,
502345, 502688, 503049, 503749, 502196,
502307, 502171, 503537, 502701, 801135,
801272, 800930, 801301, 801604, 801611,
801636, 801210 व 801544 के अभिभावकगण

सत्र 2020–21 के लिए सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों के अभिभावकों के लिए निर्देश

प्रिय अभिभावक,

1. कृपया दूरभाष पर दी गई सूचना का संदर्भ लें।
2. आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके पुत्र/पाल्य को सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की सत्र 2020–21 की कक्षा छठवीं/नौवीं में प्रवेश हेतु औपबंधित रूप से चयनित किया गया है।
3. नोवल कोरोना वायरस (COVID – 19) के बढ़ते प्रकोप तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन में प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए आपके पुत्र/पाल्य का सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की सत्र 2020–21 की कक्षा छठवीं/नौवीं में ऑनलाइन औपबंधित प्रवेश हेतु दिनांक 08 अगस्त 2020 तक का समय निर्धारित किया गया है।
4. ध्यान दें निर्धारित तिथि या उससे पूर्व आपको अपने पुत्र/पाल्य के औपबंधित प्रवेश हेतु नीचे दिए गए प्रपत्रों को पूर्ण कर, पीडीएफ प्रारूप में रक्केन कर सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के आधिकारिक ईमेल “sainikschoollambikapur@rediffmail.com” / “mendraoffice@rediffmail.com” में भेजना होगा :-


(क) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र :— आपका पुत्र/पाल्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश लेने से पूर्व जिस विद्यालय में पढ़ रहा था, उस विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) जन्म तिथि प्रमाण पत्र :— स्थानीय निकाय (नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) से निर्धारित प्रारूप में जन्म प्रमाण पत्र एवं भारतीय जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969 के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र/ च्वाईस सेन्टर (ई सेवा केन्द्र) द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र।

(ग) कक्षा पांचवीं / आठवीं की अंक सूची (प्रगति पत्र) ।

(घ) केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिवासी (Domicile) प्रमाण पत्र. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थानीय तहसीलदार द्वारा निर्गत अधिवासी प्रमाण पत्र ।

(ङ.) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए. अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य शासन के निर्धारित प्रारूप में संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है, अन्यथा स्वीकार्य नहीं होगा ।

(च) अनुबंध पत्र जो 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । उक्त अनुबंध पत्र में पाल्य के पिता/माता को ही हस्ताक्षर करना, होगा जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(छ) बन्धपत्र जो 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । इस बंधपत्र में कुल 04 (चार) अलग-अलग सदस्य जिसमें दो साक्षी (Witness) एवं दो जमानतदार (Surety) होंगे । उक्त अनुबंध पत्र को कार्यपालिक अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(ज) शपथ प्रमाण पत्र ।

(झ) आय प्रमाण पत्र जो 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । कृपया ध्यान दें आय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यपालिक अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित होना आवश्यक है । आय प्रमाण-पत्र की दो प्रतियाँ प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात स्कूल कार्यालय में जमा करना होगा ।

(ज) सरकारी कर्मचारियों के लिए. माह अप्रैल/मई के वेतन भुगतान की दो प्रति ।

(ट) केवल रक्षा कर्मियों के लिए :-

- (i) अभिलेख कार्यालय से पिछले माह के वेतन भुगतान की दो प्रति ।
- (ii) वर्तमान यूनिट द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र ।

(ठ) केवल भूतपूर्व रक्षा कर्मियों के लिए :- सेवानिवृति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

(ड) स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट (शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)

(ढ) व्यक्तिगत विवरण

(ण) एंटी रैगिंग शपथ पत्र जो 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । जिसमें पिता/माता (Deponent) द्वारा हस्ताक्षरित तथा शपथ आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(त) Indemnity Bond इस दस्तावेज को प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रस्तुत करना होगा ।

(थ) **Affidavit** जो 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप कर माता/पिता के हस्ताक्षर तथा नोटरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।

(द) **नमूना हस्ताक्षर** ।

(ध) अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रतिलिपि ।

(ज) अभ्यर्थी के बैंक पास-बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि ।

(प) हाल ही में खींची हुई अपने पुत्र की 16 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं अपने पुत्र के साथ माता, पिता एवं अभिभावक की संयुक्त चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ।

(फ) ई-मेल खाता का विवरण ।

(ब) प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि ।

(भ) व्यक्तिगत सामान ।

5. कड़िंका 4 में दी गई सभी प्रपत्रों के नमूने (प्रोफॉर्म) सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाइट www.sainikschoolambikapur.org.in में उपलब्ध हैं।

6. आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश शुल्क ₹ 1,21,375/- (सामान्य/रक्षा वर्ग के लिए) तथा ₹ 1,19,875/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए) ऑनलाइन भुगतान या स्कूल के बैंक खाता में सीधे जमा करना अनिवार्य है। शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का भुगतान तिमाही, छमाही या वार्षिक रूप से किया जा सकता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के निर्देशानुसार प्रवेश शुल्क कैडेट के खाते में समायोजित किया जायेगा। ऑनलाइन या स्कूल के बैंक खाते में किए गए भुगतान की रसीद को भी सभी दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:—

(क) बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक

(ख) शाखा का नाम: मुख्य शाखा अम्बिकापुर

(ग) खाता क्रमांक : 30469251040

(घ) खाता का नाम : प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (फीस कलेक्शन एक्सेप्ट)

(ङ.) आइएफएससी कोड: SBIN0000310

7. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में औपबंधित प्रवेश होने के पश्चात आपके पुत्र/पाल्य को ऑनलाइन क्लासेस में शामिल किया जायेगा जिसके लिए माता—पिता का व्हाट्सएप नम्बर एवं ई-मेल खाता का विवरण स्कूल कार्यालय में देना होगा।

8. कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन प्रवेश औपबंधिक (Provisional) है। स्कूल खुलने के पश्चात आपके पुत्र/पाल्य का भौतिक रिपोर्टिंग के समय सभी प्रपत्रों की मूलप्रति स्कूल कार्यालय में जमा करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। यदि किसी प्रकार की सूचना या जमा किया गया दस्तावेज किसी भी समय असत्य/गलत पाया जाता है तो आपके पुत्र/पाल्य का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सैनिक स्कूल अम्बिकापुर प्रशासन स्वतंत्र होगा।

9. निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व प्रवेश शुल्क न जमा करने पर आपके पुत्र/पाल्य की उम्मीदवारी निरस्त करते हुए दी गयी सीट वरीयता क्रम में अगले उम्मीदवार को आबंटित कर दी जाएगी, जिसके ऊपर आपके व आपके पुत्र की कोई दावेदारी नहीं रहेगी ।

10. आपसे अनुरोध है कि अपने पुत्र/पाल्य का प्रवेश करवाने से पहले स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं जैसे छात्रावास/भोजन व्यवस्था/खेलकूद आदि से अवगत हो जायें । अभिभावकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल कर्मचारियों से सौहाद्रपूर्ण व्यवहार रखेंगे । सभी अभिभावकों के लिए स्कूल द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

11. आपसे अनुरोध है कि आप अपने पाल्य तथा स्कूल से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के लिए सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाइट www.sainikschoolambikapur.org.in का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें ।

12. उपर्युक्त संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण/सूचना कार्यालय अवधि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या स्कूल के फोन नं. 07774-261609 या 7747032999 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है ।




—
(जितेन्द्र डोगरा)
कर्नल
प्राचार्य
